



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 175-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 6, 2017 (ASVINA 13, 1939 SAKA)

### हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

### अधिसूचना

दिनांक 06 अक्टूबर, 2017

**संख्या 96/एस०टी०-2.-** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 24 में, उपनियम (4) में, "30 सितंबर" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 अक्टूबर" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।
3. उक्त नियमों में, नियम 118 में, "नियत दिन के नब्बे दिन की अवधि" शब्दों के स्थान पर, "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए," शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
4. उक्त नियमों में, नियम 119 में, "नियत दिन के नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए," शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
5. उक्त नियमों में, नियम 120 में, "नियत दिन के नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए," शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
6. उक्त नियमों में, नियम 120क में, "प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा का पुनरीक्षण" उपात्तिक शीर्ष रखा जाएगा।
7. उक्त नियमों में, प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी -29 में,-  
(क) "अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन" शीर्ष के स्थान पर, "प्रवासी करदाताओं का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन" शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा;  
(ख) उपशीर्ष भाग अ में, मद (i) के सामने "अनंतिम आई डी" शब्द और अक्षरों के स्थान पर, "जीएसटीआईएन" अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**GOVERNMENT OF HARYANA**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 6th October, 2017

**No. 96/ST-2.**— In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2017.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (herein after called the said rules), in rule 24, in sub-rule (4), for the figures, letters and word, “30th September”, the figures, letters and word “31st October” shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 118, for the words “a period of ninety days of the appointed day”, the words and figures “the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner” shall be substituted.
4. In the said rules, in rule 119, for the words “ninety days of the appointed day”, the words and figures “the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner” shall be substituted.
5. In the said rules, in rule 120, for the words “ninety days of the appointed day”, the words and figures “the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner” shall be substituted.
6. In the said rules, in rule 120A, the marginal heading “**Revision of declaration in FORM GST TRAN-1**” shall be inserted.
7. In the said rules, in **FORM GST REG-29**,-
  - (a) for the heading, “**APPLICATION FOR CANCELLATION OF PROVISIONAL REGISTRATION**”, the heading, “**APPLICATION FOR CANCELLATION OF REGISTRATION OF MIGRATED TAXPAYERS**” shall be substituted;
  - (b) under sub-heading PART-A, against item (i), for the word and letters “Provisional ID”, the letters “GSTIN” shall be substituted.

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.